अपील संख्या 30/2019

मैसर्स कैमिकल इण्डिया

बनाम

परियोजना निदेशक यूनिट – इलेक्ट्रीकल – प्रथम, जयपुर

द्वितीय अपील प्राधिकारी – लोकेश विजयवर्गीय (प्रबन्ध निदेशक)

उपस्थित –

2. अपीलार्थी – श्री धीरज पाठक,
2. प्रत्यार्थी – परियोजना निदेशक यूनिट – इलेक्ट्रीकल – प्रथम, जयपुर, आर.एस.आर.डी.सी.

निर्णय

दिनांक :–

यह कि वर्तमान द्वितीय अपील द्वितीय अपील प्राधिकारी के समक्ष राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 सपठित राजस्थान लोक उपापन में पारदिर्शिता नियम, 2013 के अन्तर्गत अपीलार्थी मैसर्स कैमिकल इण्डिया ने दिनांक 27.08.2019 को जरिये श्री धीरज पाठक प्रस्तुत कर प्रथम अपीलेन्ट अधिकारी द्वारा जारी निर्णय दिनांक 21.06.2019 को चुनौती दी है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है।:–

यह है कि आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा ई – निविदा सूचना संख्या 381/2018–19 दिनांक 06.02.2019 को जारी कर मेडिकल कॉलेज भरतपुर एवं भीलवाडा के लिए मेडिकल इक्यूपमेन्ट खरीदने के लिए योग्य एवं अनुभवी उत्पादनकर्ताओं/अधिकृत आपूर्ति कर्ताओं से निर्धारित प्रपत्र ई टेन्डिगं प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की गई थी। अपीलान्ट एवं दो अन्य निविदाकर्त्ताओं द्वारा सभी औपचारिकताऐ पूर्ण निविदा अपलोड की गई। तकनीकी मूल्यांकन स्तर पर ही अपीलान्ट एवं मैसर्स विजन डाईग्नोस्टिक प्रा.लि. की तकनीकी निविदा को निविदा में वर्णित शर्तो की पूर्ण पूर्ति नही करने के आधार तकनीकी मूल्यांकन समिति जो मेडिकल कॉलेज के स्तर पर गठित की गई थी, द्वारा तकनीकी निविदा को दिनांक 28.02.2019 को निरस्त किया गया जिसे दिनांक 27.03.2019 को आर. एस.आर.डी.सी. के पोर्टल पर अपलोड किया गया। अपीलान्ट द्वारा तकनीकी बिड जो डाउनलोंड की गई उसे प्रथम दृष्टि में ही तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा निविदा में वर्णित 28 शर्तो में से 8 शर्ते पूर्ण नही करने के आधार तकनीकी बिड को असफल माना गया. शर्तो की पूर्ति नही होने के आधार पर ही अपीलान्ट के मेडिकल ईक्यूमेन्ट का डैमस्ट्रेशन नही लिया गया।

अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपीलेट प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.06.2019 एवं तकनीकी समिति की रिपोर्ट दिनांक 28.02.2019 जो दिनाक 27.03.2019 को अपलोड की गई को निरस्त कराने की राहत के लिए द्वितीय अपील पेश की गई।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 की धारा 38(4) मे प्रदत्त अपील की समयावधि में पेश नही करने एवं अपील में प्रथम अपीलेट अधिकारी के निर्णय दिनांक 21.06.2019 को निरस्त करने का उल्लेख नही किया गया है, ना ही निर्णय को अपील के साथ प्रस्तुत है, के आधार पर परियोजना निदेशक यूनिट इलेक्ट्रीकल – प्रथम, जयपुर, द्वारा द्वितीय अपील को निरस्त करने का कथन दिनांक 19.08.2019 को किया गया। अपीलान्ट द्वारा अपील में संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया अपीलान्ट को दिनांक 27.08.2019 तक संशोधन प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु समय दिया गया।

दिनांक 27.08.2019 को अपीलान्ट द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर उभयपक्षकारान को दिंनाक 06.09.2019 को सुना गया। अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया एवं अपीलान्ट द्वारा दिये गये कारणों से सतुंष्टी पर अपील को अन्दर सीमा मॉगते हुये अपीलान्ट एवं परियोजना निदेशक यूनिट इलेक्ट्रीकल – प्रथम,जयपुर, अपील को मेरिट पर सुना गया।

दोनो को सुनने के उपरान्त यह आवश्यक समझा गया कि निर्णय पारित करने से पूर्व मेडिकल ईक्यूपमेन्ट के तुलनात्मक योग्यता के आधार पर तकनीकी मूल्यांकन समिति के सदस्य जिन्हे मेडिकल ईक्यूपमेन्ट की पूर्ण जानकारी है, जिन्होने अपीलान्ट की मेडिकल ईक्यूपमेन्ट को तकनीकी मूल्यांकन स्तर पर उपयोगी नही माना गया को सुना जाना न्यायिक दृष्टि से अतिआवश्यक समझते हुये उन्हे एवं अपीलान्ट को दिंनांक 01.10.2019 को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया एवं उभयपक्षकारान् के साथ तकनीकी मूल्याकन समिति के सदस्य डाक्टर मनीष सिंहल व डॉ. नील को विस्तार से सुना गया।

1. अपीलार्थी का कथन है कि उपकरण की Speaifications किसी एक कम्पनी की ही ली गई है। (Tailor Made) इस कारण अपीलार्थी द्वारा दी जाने वाली कम्पनी की मशीन/ उपकरण तकनीकी समिति द्वारा अस्वीकृत कर दी गई है, इस सम्बन्ध में तकनीकी समिति के डाक्टर मनीष सिंहल व डॉ. नील ने बताया कि निविदा में मॉगी गई Speaifications में से 8 बिन्दुओं पर अपीलार्थी की मशीन की अस्वीकृत किया गया है वे सभी Speaification दो से अधिक अन्य कम्पनी के उपकरणों मे भी मिलती है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा जिस कम्पनी की मशीन दिए जाने का प्रस्ताव दिया गया था उसी कम्पनी के उच्च क्षमता के माडल में भी उक्त Speaification उपलब्ध है।

2. अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा तकनीकी समिति से एक बार डेमों लिए जाने की प्रार्थना की गई थी क्योकि उक्त बिन्दु 1 पर वर्णित Speaification की जानकारी वह डेमो में दे सकता है। किन्तु तकनीकी समिति द्वारा डेमो लेना स्वीकार नही किया गया। इस सम्बन्ध में पुनः तकनीकी समिति के डाक्टर मनीष व डाक्टर नील द्वारा यह बताया गया कि अपीलार्थी द्वारा तकनीकी बिड में अपलोड किए गए प्रपत्रों में स्वयं ही यह स्वीकार किया गया था कि उनके द्वारा किए गये मशीन के मॉडल में में कुछ बिन्दुओं पर असमर्थता है अर्थात् उनकी मशीन चाही गई सुविधा प्रदान नही कर सकती है। अपीलार्थी द्वारा स्वयं ही स्वीकार किए जानें के पश्चात् डेमों के लिए अन्य स्थान पर जाना आवश्यक नही था।

3. अपीलान्ट द्वारा यह कथन किया गया कि तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा उनके मेडिकल ईक्यूपमेन्ट का डिमोस्ट्रेशन लिया जाता,तो कमियो की पूर्ति को स्पष्ट किया जा सकता था तकनीकी मूल्यांकन समिति के सदस्य उपरोक्त उल्लेखित डॉक्टरों द्वारा स्पष्ट किया गया कि अपीलान्ट द्वारा मूल्यांकन समिति द्वारा जिन आधारों पर अपीलान्ट की तकनीकी बिड को निरस्त किया गया उन शर्तो के अनुरूप निविदा अपलोड नही होना अपीलान्ट द्वारा स्वीकार किया गया। तकनीकी मूल्यांकन स्तर पर प्रथम दृष्टतया में शर्तो की पूर्ति नही होने के आधार पर ही मेडिकल ईक्यूपमेन्ट का डैमस्ट्रेशन लिया जाना आवश्यक नही समझा गया।

4. अपीलार्थी द्वारा यह कथन किया गया कि मैसर्स सुजाता एन्टप्राईजेज जयपुर जिसे तकनीकी समिति द्वारा तकनीकी मूल्यांकन के स्तर पर चयनित किया गया है कि मेडिकल ईक्यूपमेन्ट जो क्रय किया जा रहा है उसकी कीमत अन्य मेडिकल कॉलेज में उन्ही की फर्म द्वारा सप्लाई की गई है, की दर से काफी अधिक है, जबकि अपीलान्ट के मेडिकल ईक्यूपमेन्ट की दर काफी कम है। परियोजना निदेशक यूनिट – इलेक्ट्रीकल – प्रथम, जयपुर, का कथन है कि निर्धारित प्रक्रिया अनुसार क्रय की जानी वाली दर वित्तिय निविदा में उल्लेखित होती है। वित्तिय निविदा उन्ही निविदाकर्ताओं की खुल सकती है, जो तकनीकी निविदा में सफल रहे हो। चूँकि अपीलान्ट तकनीकी बिड मे ही अयोग्य घोषित कर दिया गया था, इस कारण उसकी वित्तिय बिड नही खोली जा सकी। इस कारण अपीलान्ट की दर की जानकारी उनको नही है, इसलिए दर के सन्दर्भ में कोई कथन नही दिया जा सकता है।

उभय पक्षकारान एवं तकनीकी समिति के सदस्य डाक्टर मनीष व डाक्टर नील को सुना गया एवं अपील/प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। तकनीकी मूल्याकन समिति के सदस्य द्वारा तकनीकी मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट में दर्शित सभी 8 कमियों के बारे में विस्तार से बताया गया, अपीलार्थी फर्म मेडिकल ईक्यूपमेन्ट में जो कमिया बताई गई उसकी पूर्ति अपीलान्ट फर्म की ही उच्च मॉडल के मेडिकल ईक्यूपमेन्ट में होना पाया गया। जबकि अपीलान्ट द्वारा जिस मेडिकल ईक्यूपमेन्ट विक्रय करने हेतु निविदा अपलोड की है, उसमें शर्तो की पूर्ति नही होना स्वयं स्वीकार किया गया है। राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 की धारा 38 के अनुसार उपापन सस्थां को कोई निर्णय, कार्यवाही, या लोप इस अधिनियम या उसके अधिन जारी नियमों या मार्गदर्शन के उपबन्धों का उल्लंग्न किया गया हो, के आधार पर अपील की जा सकती है, जबकि सम्बन्धित अपील को सुनने के उपरान्त ऐसा नही पाया गया कि तकनीकी मूल्याकंन समिति एवं उपापन सस्थां द्वारा प्रक्रिया एवं नियमों का उल्लंग्न किया गया हो, ना ही प्रथम अपीलेट प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.06.2019 में कोई त्रृटि नही की गई है।

अतः अपीलार्थी की द्वितीय अपील निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 04.10.2019 को सुनाया गया ।

द्वितीय अपील प्राधिकारी ,

(प्रबन्ध निदेशक)
आर.एस.आर.डी.सी. लि. जयपुर।